न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 64/2024 **दायर दिनांकः 30.03.2024**

उनवान

1. मांगीलाल पि. कन्हैयालाल जाति बागरी नि. ओसाव तहसील सुनेल
2. देवीलाल पि. कन्हैयालाल जाति बागरी नि. ओसाव तहसील सुनेल
3. दरियाबबाई पि. कन्हैयालाल जाति बागरी नि. ओसाव तहसील सुनेल

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वकील प्रार्थी :— श्री हुकुमचन्द कुमावत
अप्राथी :— पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 29.11.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम ओसाव तहसील सुनेल के रहने वाले है। प्रार्थीगण के पिता कन्हैयालाल पि. भुवाना/भोना जाति बागरी ओसाव में रहे है जिनके नाम से ग्राम ओसाव में आराजी स्थित है। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध दर्ज होकर कनीराम हो गया है जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम कन्हैयालाल है। प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेज में भी पिता का नाम कन्हैयालाल दर्ज है तथा मृतक कन्हैयालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र में भी कन्हैयालाल दर्ज है तथा अन्य दस्तावेज में भी कन्हैयालाल पि. भुवाना नाम है। यह कि ग्राम ओसाव में स्थित आराजी कनीराम पि. भुवाना कोम बागरी के नाम दर्ज आराजी की जमाबंदी का विवरण इस प्रकार है —

(1) ग्राम ओसाव प.म.ओसाव में स्थित आराजी जमाबंदी सं. 2074—77 दर्ज खाता सं. 39 ख.नं. 531 रकबा 0.4806 है. कनीराम पि. भुवाना कोम बागरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(2) ग्राम ओसाव प.म.ओसाव में स्थित आराजी जमाबंदी सं. 2074–77 दर्ज खाता सं. 587 ख.नं. 63/1350 रकबा 0.4806 है. ख.नं. 63/1361 रकबा 0.3920 है. कनीराम पि. भवाना कोम बागरी हि. 1/4

(3) ग्राम ओसाव प.म.ओसाव में स्थित आराजी जमाबंदी सं. 2074–77 दर्ज खाता सं. 551 ख.नं. 237 रकबा 0.9232 है. कनीराम पि. भवाना कोम बागरी हि. 1/4

यह कि उक्त वर्णित आराजी में खातेदार के रूप में प्रार्थीगण के पिता का नाम कनीराम पि. भुवाना बागरी दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता का सही नाम कन्हैयालाल पि. भुवाना जाति बागरी है। भूलवश कनीराम दर्ज हुआ है जिसे संशोधन सुधार करवाना चाहते है। कन्हैयालाल पिता भुवाना जाति बागरी से संबंधित सभी दस्तावेज प्रार्थीगण के पास मौजूद है जिन्हे प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 30.04.2017 को ग्राम ओसाव तहसील सुनेल में हो गई है। राजस्व रिकार्ड में नाम में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वर्णित खाता सं. 39, 587, 551 ग्राम ओसाव की जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम कनीराम पि. भुवाना जाति बागरी के स्थान पर कन्हैयालाल पि. भुवाना जाति बागरी दर्ज/दुरूस्त करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क्र. भू.अ./2024/1050 दिनांक 15.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण के संबंध में पटवरी हल्का/भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच करवाई गई। प्रस्तुत मौका एवं जांच रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम ओसाव के खाता सं. 39, 587, 551 में देवीलाल, मांगीलाल, दरियावबाई के पिता का नाम कनीराम दर्ज है जबकि प्रार्थीगणों द्वारा संलग्न दस्तावेज के अनुसार इनके पिता का नाम कन्हैयालाल है। अतः मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न पहचान दस्तावेज उक्त प्रार्थीगण के पिता का नाम कनीराम एवं कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति का [illegible] है इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम कन्हैयालाल दर्ज किया जाना उचित होगा।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम ओसाव की जमाबंदी सं. 2074—77 के खाता सं. 39, 587, 581 की नकले, कन्हैयालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, कन्हैयालाल का आधार कार्ड (520171410428) कन्हैयालाल की वोटर आईडी (RJ/15/119/276228) मांगीलाल का आधार कार्ड (751265980094) देवीलाल का आधार कार्ड (729500426278) दर्यावबाई का आधार कार्ड (952481542451) की छायाप्रति पेश की। प्रार्थीगण के ओर से बालाराम पि. कुका बागरी नि. हनोतिया का शपथ पत्र एडब्ल्यू 1 व आधार कार्ड, गीताबाई पत्नि मांगीलाल बागरी नि. ओसाव का शपथ पत्र एडब्ल्यू 2 व आधार कार्ड एवं ग्राम पंचायत ओसाव का प्रमाण पत्र पेश किया।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से भू.अभिलेख निरीक्षक हेमडा की रिपोर्ट, कन्हैयालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, कन्हैयालाल का आधार कार्ड (520171410428) कन्हैयालाल की वोटर आईडी (RJ/15/119/276228) मांगीलाल का आधार कार्ड (751265980094) देवीलाल का आधार कार्ड (729500426278) दर्यावबाई का आधार कार्ड (952481542451) की छायाप्रति पेश की।

5. वकील प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की आराजी खाता सं. खाता सं. 39, 587, 551 कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में हिस्सा 1/4 से दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का गलत नाम कनीराम पि. भवाना दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम कन्हैयालाल पि. भवाना बागरी है। प्रार्थीगण के पिता कन्हैयालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (520171410428) वोटर आईडी (RJ/15/119/276228) में सही नाम कन्हैयालाल पि. भवाना बागरी नि. ओसाव अंकित है जो कि प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

6. वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता के सभी दस्तोवजो में सही नाम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड ग्राम ओसाव में जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 39, 587, 551 में प्रार्थीगण के पिता का नाम कनीराम पि. भवाना दर्ज हो रहा है दर्ज है जिसके कारण प्रार्थीगण को भूमि का विकास करवाने व अन्य सरकारी सुख सुविधाओं, कृषि ऋण लेने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसे दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम कनीराम पि. भवाना बागरी नि. ओसाव के स्थान पर सही नाम कन्हैयालाल पि. भवाना बागरी नि. ओसाव दर्ज किया जावे।

7. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता नाम राजस्व ग्राम ओसाव में जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 39, 587, 551 में कनीराम पि. भवाना बागरी हि. 1/4 दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (520171410428) वोटर आईडी (RJ/15/119/276228) में सही नाम कन्हैयालाल पि. भवाना बागरी नि. ओसाव अंकित है। कनीराम पि. भवाना एवं कन्हैयालाल पि. भवाना एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थीगण के पिता का नाम कनीराम पि. भवाना के स्थान पर सही व शुद्ध नाम कन्हैयालाल पि. भवाना बागरी नि. ओसाव दर्ज करना उचित होगा। रिपोर्ट भू.अभिलेख निरीक्षक हेमडा में भी कनीराम पि. भवाना एवं कन्हैयालाल पि. भवाना एक ही व्यक्ति होना बताया है।

8. वकील प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत ग्राम ओसाव की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 39, 587, 551 में प्रार्थीगण के पिता का नाम कनीराम पि. भवाना दर्ज रिकार्ड है जबकि प्राथीगण के पिताके मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (520171410428) वोटर आईडी (RJ/15/119/276228) में सही नाम कन्हैयालाल पि. भवाना बागरी नि. ओसाव अंकित है जो कि प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है। अतः राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ओसाव की जमाबंदी सं. 2074—77 के खाता सं. 39, 587, 551 कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2074—77 के खाता सं. 39, 587, 551 में प्रार्थीगण के पिता का नाम कनीराम पि. भवाना के स्थान पर सही व शुद्ध नाम कन्हैयालाल उर्फ कनीराम पि. भवाना बागरी नि. ओसाव दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/24

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner